

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संख्या-3/विविध-01-03/2015-

/स्वा०, पटना, दिनांक : / /2021

कोरोना वायरस के अप्रत्याशित रूप से बढ़ते संक्रमण के रोक-थाम एवं इसके निरोधात्मक उपाय हेतु विशेष चौकसी एवं अनुश्रवण की आवश्यकता को देखते हुए राज्य के सभी चिकित्सा पदाधिकारियों, संविदा नियोजित सहित, (चिकित्सा पदाधिकारी से लेकर निदेशक प्रमुख तक, प्राचार्य/अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से लेकर जूनियर रेजिडेंट तक एवं निदेशक, विशिष्ट चिकित्सा संस्थान) तथा राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मियों, संविदा नियोजित सहित, (यथा स्वास्थ्य प्रशिक्षक, पारा मेडिकल्स, जी०एन०एम०, ए०एन०एम, शल्य कक्ष सहायक, लैब टेक्नीशियन, सभी चतुर्थ कर्मी इत्यादि) का सभी प्रकार के अवकाश (अध्ययन अवकाश एवं मातृत्व अवकाश को छोड़कर) को रद्द करने संबंधी पूर्व निर्गत आदेश को 31.05.2021 तक विस्तारित किया जाता है। वर्तमान में जो चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी अवकाश पर हैं उन्हें अविलम्ब अपने कर्तव्य पर योगदान करने का निदेश दिया जाता है।

2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।
3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(एस०एस० पाण्डेय)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक: 3/विविध-01-03/2015-259(3) /स्वा०, पटना, दिनांक : 6/4/2021

प्रतिलिपि: सचिव स्वास्थ्य-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना /सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/सभी अधीक्षक/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, बिहार/सभी निदेशक, विशिष्ट चिकित्सा संस्थान, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

21/05/2021

विशेष कार्य पदाधिकारी

D:\Old_System_backup\Old System Data\New folder\2021\Order-7.1.2021.docx05042021

ज्ञापांक:- 563/21

दिनांक:- 06/04/21

प्रतिलिपि: अधीक्षक/सभी विभागाध्यक्ष/सभी चिकित्सक/शिक्षक/सभी कर्मचारी/सभी पारा मेडिकल स्टाफ, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर

Principal

S. K. Medical College

Muzaffarnur